

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्री बन्नाराम पुत्र श्री मंगलाराम ~~बन्नी शम्भू~~ निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 553/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1199

आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 96 में वादी का गलत दर्ज नाम "बनवारी पुत्र मंगला" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "बन्नाराम पुत्र मंगलाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश तहसीलदार एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. श्री बन्नाराम पुत्र श्री मंगलाराम ~~राजवीर सिंह यादव~~ निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. ~~553~~ सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 96 में वादी का गलत दर्ज नाम "बनवारी पुत्र मंगला" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "बन्नाराम पुत्र मंगलाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसव मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....

ओहद.....

राजवीर सिंह यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह		
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।